न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/39

देवलाल वल्द नन्दा जी जाति भील निवासी बडौदिया आन्तरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. संजू बाई आयु 25 वर्ष पत्नी स्व0 उदयलाल जाति भील निवासी बडौदिया आन्तरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. टीनू आयु 03 वर्ष पुत्री स्व0 उदयलाल जाति भील नाबालिग जरिये वली माता संजू बाई ।
3. लखन आयु 01 वर्ष पुत्र स्व0 उदयलाल जाति भील नाबालिग जरिये वली माता संजू बाई निवासीगण बडौदिया आनतरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी धनवास तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडौदिया आंतरी तहसील रामगंजमण्डी में मृतक श्री कृष्ण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खाता संख्या 80 में दर्ज खसरा नम्बर 120 मिन की 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 की 05 बीघा एवं खसरा नम्बर 120 की 02 बीघा कुल 07 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । श्रीकृष्ण की मृत्यु होने पर उक्त भूमि को उसका एक मात्र पुत्र उदयलाल श्रीकृष्ण का वैध उत्तराधिकारी होने से बतौर खातेदार कृषक काश्त करता रहा । उदयलाल की मृत्यु होने पर प्रार्थिया उसकी विधवा पत्नी तथा उसके अल्पवयस्क पुत्री व

पुत्र वैध उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि से स्वतः ही सहखातेदार बन गये हैं । श्रीकृष्ण का देहान्त होने पर पटवारी हल्का ने नन्दा के पुत्र देवलाल व पुत्री मांगी बाई के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया जो सर्वथा अवैध है । पटवारी हल्का ने त्रुटिवश दिनांक 25.05.2000 को नामान्तरकरण संख्या 188 का अमल जमाबन्दी में करते समय उदयलाल के बजाय अप्रार्थीगण का नाम मृतक श्रीकृष्ण के वारिस के रूप में दर्ज कर दिया जो अवैध है । यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है ।

3. अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि को किसी को हस्तान्तरण नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे । विकल्प में अप्रार्थीगण यदि उक्त भूमि पर कब्जा रखना चाहे तो अप्रार्थीगण से एक हजार रूपया प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नकद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने अपने निर्णय दिनांक 16.11.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी पर 1000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नदग प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रखने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है । रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.11.2015 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया था उसे नकल प्राप्त होने के बाद विन्टर विकेशन आ जाने से उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका था । अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट अपने मृतक काका श्रीकृष्ण की देखभाल, भरण पोषण आदि करता चला आ रहा था तथा श्रीकृष्ण ने

अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट को उक्त भूमि का मालिक स्वामी घोषित कर दिया था तथी श्री कृष्ण जी के जीवनकाल से ही अपीलान्ट उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट कभी भी ग्राम बडौदिया में आकर नहीं रहे और न ही श्रीकृष्ण की मौजूदगी में मृतक उदयलाल ग्राम बडौदिया आया । अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 25.05.2000 नियमानुसार तस्दीक किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अपील में अधीनस्थ न्यायालय में जो पक्षकार थे उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है । अपील नॉन ज्वाइण्डर ऑफ पार्टीज के नुक्स से प्रभावित होने से मेन्टेनेबल नहीं है । जमाबन्दी के पीछे परिवार का शजरा बनाया गया है । श्रीकृष्ण के पुत्र उदयलाल और उदयलाल के विधिक वारिस प्रार्थी हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्याहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सवंत् 2055 से 2058 के अनुसार वादग्रस्त श्रीकृष्ण पुत्र मेहताब के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 188 से मृतक श्रीकृष्ण के स्थान पर विरासत से पुत्र देवलाल पुत्री मांगीबाई का नाम दर्ज हुआ का नोट अंकित है । नामान्तरकरण संख्या 188 की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसमें नामान्तरकरण स्वीकृत होना अंकित है परन्तु कॉलम संख्या 09 खाली है । उदयलाल की मृत्यु का प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न है ।

12. प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वो श्रीकृष्ण की विधिक वारिस है । उनका यह कथन है कि श्रीकृष्ण का पुत्र उदयलाल था । उदयलाल की मृत्यु हो चुकी है वह उनके वारिस हैं । अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें श्रीकृष्ण को अपना काका बताया है और श्री कृष्ण एवं उदयलाल की मृत्यु होना स्वीकार किया है । प्रार्थिनी क्रम 1 को उदयलाल की पत्नी होना स्वीकार किया है परन्तु कथन किया है कि उनके काका श्रीकृष्ण की देखभाल उन्होंने ही की थी । उदयलाल कभी भी उनकी देखभाल करने नहीं आया और वादग्रस्त आराजी पर पिछले 40–50 वर्षों से कब्जा हैं । इस प्रकार प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर यह प्रथमदृष्टया सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण उदयलाल के विधिक वारिस हैं और

उदयलाल श्रीकृष्ण का पुत्र था जिनकी मृत्यु हो चुकी है । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में तय पाया जाता है । यद्यपि पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अप्रार्थीगण अपीलान्ट का है व प्रार्थीगण उदयलाल के वारिस होने के नाते हितबद्ध पक्षकार हैं । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में तय पाया जाता है । सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में तय पायी जाती है । नामान्तरकण खोला जाना फिसकल प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के हितों की रक्षार्थ वादग्रस्त आराजी के बाबत् नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने के जो आदेश पारित किये हैं वह विधि सम्मत प्रतीत होते हैं जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा